संख्या 36/XXXVi (2)/2009–176/2001

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी,2009

विषय– जिला, बागेश्वर में स्थापित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–29/XXXVi(2)/2008–176/2001, दिनांक 30 जनवरी 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जिला बागेश्वर में स्थापित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय के लिये शासनादेश संख्या–4016/सात–न्याय–2–201/75, दिनांक 19.02.96 के द्वारा सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1.3.2009 से दिनांक 28.02.2010 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के लेखा शीर्षक '2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–सिविल और सेंशन्स न्यायाधीश–00' के अर्न्तगत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए0–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24 (8)/92, दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अर्न्तगत प्रसारित किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव।

संख्या–36 (1) XXXVi(2)/2009–176/2001–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड,माजरा, देहरादून।
2– जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,बागेश्वर ।
3– कार्मिक/नियुक्ति अनुभाग/वित्त अनुभाग–5।
4– एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पटिनी)
अनुसचिव।